



माराठानगर सरकार

कार्यालय :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन मवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pcef-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0ब0-10 / 2016- 525 दिनांक :- 18.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/रामगढ़ वन प्रमण्डल/धनबाद वन प्रमण्डल/बोकारो वन प्रमण्डल/देवघर वन प्रमण्डल/गोड्डा वन प्रमण्डल/राँची वन प्रमण्डल/

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बौंस गैबियन वृक्षारोपण, रैखिक वृक्षारोपण एवं गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल रु0 316.082 लाख (तीन करोड़ सोलह लाख आठ हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-21 / 2016-32 / स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक-07.09.2016 एवं आवंटन आदेश संख्या-04 / यो0बजट-21 / 2016-07 व0प0 दिनांक-30.04.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 रु0 316.082 लाख (तीन करोड़ सोलह लाख आठ हजार दो सौ रुपये) मात्र मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	256.351
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	59.731
कुल :-		316.082

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1, (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601102590103 तथा पी0 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाये।

12. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक


16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का सत्तमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—10 / 2016— 525 दिनांक— 18.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/दुमका/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/बोकारो/देवघर/दुमका/राँची/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—10 / 2016— 525 दिनांक— 18.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/रामगढ़/धनबाद/बोकारो/देवघर/गोड्डा/हजारीबाग/कोडरमा/दुमका/डोरण्डा, राँची/जमशेदपुर/चाईबासा/लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य,

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			287.30	69.50	356.80
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	5500	15.802	3.822	19.624
2	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	5500	15.802	3.822	19.624
3	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	5500	15.802	3.822	19.624
4	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	5500	15.802	3.822	19.624
5	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	5500	15.801	3.823	19.624
6	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	4000	11.492	2.780	14.272
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	5500	15.801	3.823	19.624
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	5500	15.801	3.823	19.624
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	6000	17.238	4.170	21.408
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	5675	16.304	3.944	20.248
11	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका	2000	5.746	1.390	7.136
12	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	7000	20.111	4.865	24.976
13	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	5000	14.365	3.475	17.840
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	4500	12.928	3.128	16.056
योग :-		72675	208.795	50.509	259.304

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रैखिक वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य रैखिक वृक्षारोपण (कि०मी०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			29479.94	11368.00	40847.94
i	ii	iii	iv	v	vi
1	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	10	2.948	1.137	4.085
2	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	10	2.948	1.137	4.085
योग :-		20	5.896	2.274	8.170


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेए)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			9533.51	1590.00	11123.51
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	100.00	9.533	1.590	11.123
2	साठवाठ प्रमण्डल, लातेहार	125.00	11.917	1.987	13.904
3	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	28.00	2.669	0.445	3.114
4	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	184.00	17.541	2.926	20.467
योग :-		437.00	41.660	6.948	48.608
सकल योग :-			256.351	59.731	316.082


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस—गैबियन का आकार: 6'-6" x 2'-6" x 2'-6"

— पौधे से पौधे की दूरी — 8 मी०

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)
i	ii	iv	v	vi	vii
(A) वित्तीय वर्ष 2019-20 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83/-					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का वदलाव	0.15	37.47	4.50	41.97
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	0.50	124.92	5.00	129.92
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	0.50	124.92	60.00	184.92
	योग	1.15	287.30	69.50	356.80

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2(ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : कंटीले तार से घेरान के साथ पथरत रोपण (Multi Row with barbed wire fencing)

स्पेसिंग पंक्ति से पंक्ति की दूरी-3 मी०

पौधे से पौधे की दूरी-3 मी०

प्रति कि०मी० पौधों की संख्या-2000 पौधे

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	सामग्री (रु० मे०)	मजदूरी (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
क	वित्तीय वर्ष 2019-20 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83/-					
1	एक कोङनी-निकौनी	प्रति कि० मी०	28.00	0.00	6995.24	6995.24
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि० मी०	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	घेरान की मरम्मत (लगभग 10 प्रतिशत खूँटों के बदलाव एवं अन्य सामग्री सहित)	प्रति कि० मी०	0.00	10000.00	0.00	10000.00
4	सुरक्षा पर व्यय	प्रति कि० मी०	90.00	0.00	22484.70	22484.70
	योग :-		118.00	11368.00	29479.94	40847.94

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2(ग)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर-वनभूमि अंतर्गत वृक्षारोपण
पौधों की संख्या प्रति हेठले : 1666
पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
1	2	3	4	6	5	7
(D) वित्तीय वर्ष 2019-20 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83/-						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हेठले	23.00	5746.09	0.00	5746.09
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठले तक)	हेठले	12.16	3037.93	0.00	3037.93
	पौधों की सुरक्षा (30 हेठले से अधिक)			0.00		
4	मृत पौधों का प्रतिरक्षण	हेठले	3.00	749.49	290.00	1039.49
योग :-			38.16	9533.51	1590.00	11123.51

प्रधान मुख्य वर्म संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

वात्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या - 01/YB-07/2019/525

दिनांक -

18-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103	32888	GRDFOR001	1,580,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAJKUMAR SAH	रुपये पंद्रह लाख अस्सी हजार दो सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DFO GIRIDIH EAST	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		FOR.DIV.	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
2	S 19 240601102590103	32890	HZBFOR001	1,580,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		DIV. FOREST OFFICER	रुपये पंद्रह लाख अस्सी हजार दो सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		RAMGARH	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		DIV. FOREST OFFICER	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
3	S 19 240601102590103	32892	DHNFOR001	1,580,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI BIMAL LAKRA	रुपये पंद्रह लाख अस्सी हजार दो सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DIVISIONAL FOREST	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		OFFICER	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
				4,740,600.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये सैतालीस लाख चालीस हजार छ: सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32894	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D F O, BOKARO	1,875,000.00 रुपये अटारह लाख पचहत्तर हजार
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32897	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,874,900.00 रुपये अटारह लाख चौहत्तर हजार नौ मौ
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32900	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	1,149,200.00 रुपये स्थारह लाख उनचास हजार दो सौ
योग: 4,899,100.00				
क्रमिक योग: 9,639,700.00				
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32904	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,580,100.00 रुपये पंद्रह लाख अस्सी हजार एक सौ
8	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32905	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	1,580,100.00 रुपये पंद्रह लाख अस्सी हजार एक सौ
9	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32908	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	1,990,700.00 रुपये उन्नीस लाख नव्वे हजार सात सौ

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड सैतालीस लाख नव्वे हजार छ: सौ

5,150,900.00

14,790,600.00


 (SRI VIKRAM SINGH GAUR, IFS)
 PCCF, DEV, JHARKHAND, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102590103	32909	DMKFOR003	3,384,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		NAND KISHOR SHARMA	रुपये तैतीस लाख चौरासी हजार पौंच
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		(S.F.S)	सौ
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
11	S 19 240601102590103	32911	DMKFOR004	574,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI RAJ KISHOR	रुपये पौंच लाख चौहत्तर हजार छ:
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		CHAUDHARY	सौ
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		D.F.O.W.F.P.DUMKA	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
12	S 19 240601102590103	32912	DRNFWL004	2,011,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHRI ASHOK KUMAR	रुपये बीस लाख ग्यारह हजार एक
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DUBEY	सौ
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		DFO.SOCIAL	
	01 - वेतन एवं भत्ते		FORESTRY	
	03 - मजदूरी		DIV.RANCHI	
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
योग:				5,970,200.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड सात लाख साहठ हजार आठ सौ			20,760,800.00
			 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) SCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102590103	32913	JSRFOR116	1,436,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHASHI KUMAR	रुपये चौदह लाख छत्तीस हजार पौंच सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		D.F.O.	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		S.F.DIV.ADITYAPUR	
	01 - वेतन एवं भर्ते		JSR.	
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
14	S 19 240601102590103	32914	SGHFOR001	1,292,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI. LAXMI NATH BARAIK	रुपये बारह लाख बयानवे हजार आठ सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		D.F.O.SOCIAL	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		FORESTRY DIV.CBSA	
	01 - वेतन एवं भर्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
15	S 19 240601102590103	32915	LTRFOR004	1,191,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		MANEL TUDU	रुपये ग्यारह लाख इनकानवे हजार सात सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		D.F.O. SFD LATEHAR	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01 - वेतन एवं भर्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
				3,921,000.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड छ्यालीस लाख इक्कायासी हजार आठ सौ			24,681,800.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

SC PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32916	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	953,300.00 रुपये नौ लाख तीरपन हजार तीन सौ
17	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32917	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	382,200.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार दो सौ
18	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32918	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	382,200.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार दो सौ
1,717,700.00				
योगः क्रमिक योगः रुपये दो करोड तीरसठ लाख निन्नानवे हजार पौँच सौ 26,399,500.00				

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32919	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	382,200.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार दो सौ
20	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32920	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D F O, BOKARO	495,900.00 रुपये चार लाख पिंचानवे हजार नीं सौ
21	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32921	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	496,000.00 रुपये चार लाख छयानवे हजार


योगः

1,374,100.00

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड सित्प्यात्तर लाख तीनत्तर हजार छ: सौ

27,773,600.00



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृशारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32922	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	278,000.00 रुपये दो लाख अठहत्तर हजार
23	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृशारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32923	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सौ
24	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृशारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	32925	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सौ
<hr/>				
योग:				1,042,600.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड अठवासी लाख सोलह हजार दो सौ			28,816,200.00
<hr/>				
<div style="text-align: center;">  (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI </div>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	32927	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV., DGR	461,500.00 रुपये चार लाख इक्सठ हजार पाँच सौ
26	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	32929	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIV.DUMKA	687,000.00 रुपये छ: लाख सित्यासी हजार
27	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	32931	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	139,000.00 रुपये एक लाख उनवालीस हजार
योग: 1,287,500.00				
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड़ एक लाख तीन हजार सात सौ			30,103,700.00

(SRI VIKRANT SINGH GAUR IFS)
S/CCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601102590323	32932	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	486,500.00 रुपये चार लाख छियासी हजार पौंच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
29	S 19 240601102590323	32933	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	347,500.00 रुपये तीन लाख सैतालीस हजार पौंच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
30	S 19 240601102590323	32935	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	312,800.00 रुपये तीन लाख बारह हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
				1,146,800.00
योगः				31,250,500.00
क्रमिक योगः	रुपये तीन करोड बारह लाख पचास हजार पौंच सौ			

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
86
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601102590323	32936	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	159,000.00 रुपये एक लाख उनसठ हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं मामगी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
32	S 19 240601102590323	32937	LTRFOR004 MANEL TUDU D.F.O. SFD LATEHAR	198,700.00 रुपये एक लाख अठानवे हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं मामगी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
<hr/>				
योग:				357,700.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड सोलह लाख आठ हजार दो सौ			31,608,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
8C
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI